भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *271

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

कोयला खनन से मीथेन उत्सर्जन

***271. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घरेलू कोयला खनन में प्रस्तावित विस्तार के परिणामस्वरूप कोयला खदानों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में संभावित वृद्धि की समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कम करने के लिए किन-किन प्रौद्योगिकियों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार की कोयला खदान में मीथेन उत्सर्जन कम किए जाने के प्रयासों को नवीकरणीय ऊर्जा के वर्तमान में किए जा रहे विस्तार के साथ एकीकृत करने की योजना/प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोयला खदानों से मीथेन प्राप्त और उपयोग किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विनियामक सुधार और प्रोत्साहन आरंभ किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की कोयला खदान से प्राप्त मीथेन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना/प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"कोयला खनन से मीथेन उत्सर्जन" के संबंध में डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, माननीय संसद सदस्या द्वारा दिनांक 19.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *271 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरणः

(क) तथा (ख) : कोयला खानों से कोयले के निष्कर्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के दौरान होने वाले मीथेन उत्सर्जन का अनुमान ऊर्जा क्षेत्र के तहत उपश्रेणी 'ठोस ईंधन से फ्यूजिटिव उत्सर्जन (सतह के ऊपर और सतह के नीचे होने वाला खनन)' के तहत लगाया जाता है। सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 'कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और कार्बन तटस्थता के लिए रोडमैप' पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयला खानों से होने वाले फ्यूजिटिव मीथेन उत्सर्जन शामिल है। सरकार ने कोयला निष्कर्षण के दौरान मीथेन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

- कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को अपने कोयला खनन पट्टाधारी क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन निकालने की अनुमति दी गई है।
- कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी के अंतर्गत सीबीएम के दोहन की अनुमति दी गई है।
- झरिया कोलफील्ड में भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की खानों में से एक खान से कोयला खान मीथेन (सीएमएम) निकालने के प्रयास किए गए।
- कोयला निष्कर्षण से पहले बेड मीथेन के निष्कर्षण के लिए कोयला-धारक क्षेत्र का आवंटन।

(ग) : वर्तमान में सीबीएम निष्कर्षण को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ एकीकृत नहीं किया जाता है।

(घ) : कोयला खान विनियम, 2017 में क्रियाशील कोयला खान अथवा परित्यक्त कोयला खान से मीथेन निकालने के लिए विनियम शामिल किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार ने दिनांक 8 मई 2018 की अधिसूचना के तहत सीबीएम नीति, 1997 में आंशिक संशोधन जारी किया है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को अपने कोयला-धारक क्षेत्रों, जिनके लिए उनके पास कोयला खनन के लिए खनन पट्टा है, से कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के लिए अन्वेषण और दोहन अधिकार प्रदान करने के लिए समेकित निबंधन और शर्तों की रूपरेखा प्रदान की गई है।

(ङ) : सीआईएल के सीबीएम ब्लाकों से उत्पादित कोल बेड मीथेन का उपयोग उर्वरक उत्पादन जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए किया जाएगा।

****